

Form No. III


दिनांक

तारी  
ह

14.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण  
दिनांक 19-01-2023 को किया जा चुका है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा(खैरथल-तिजारा)



Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

इसे खो बनाम इरसान वगैरा

तारीख हुकम	हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज वाद पत्र - धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद संख्या 526 वर्ष 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14.11.2022	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी वारते तलवी प्रतिवादीगण को साधारण व रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 04-12-2022 को पेश हो।</p> <p>04/11/22 आज पत्रावली पेश हुई। 9.11.2022... उन्नीशवात। क्यावली पूर्ण आदेशिकानुसार वास्तो... तलवी में दिनांक 06.10.21.23... को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>19.01.23 आज पत्रावली वादी ने किडो फां फां फां तलब हरि पेश की वादी फां फां फां वादी द्वारा प्रस्तुत फां फां व वादी की तलब ले की फां फां शर्त। हरि फां फां क्यावली पेश जा शर्त फां फां वादी ने किडो फां फां फां फां फां "क्यावली" दिना जाता है वादी की फां फां वादी फां फां फां की शर्त वादी सा वादी किडो फां फां फां फां फां फां वादी तलबील गंवर ले फां फां फां फां</p> <p>उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)</p> <p>19/1/23</p>